न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–3 आजमगढ़

राज्य बनाम राम बेलास व अन्य

सत्र वाद संख्या–541/2015

थाना–फूलपुर, जनपद आजमगढ़

दिनाँक –14.08.2024

अभियुक्तगण राम प्रताप, मंगरू व विजयी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण की ओर से गैर जमानतीय अधिपत्र निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण का यह कथन है कि सभी मुल्जिमानों के अधिवक्ता एक ही थे। अभियुक्त राम गोपाल बिना बताये अभियुक्तगण के मुकदमे की पैरवी करना बन्द कर दिये। दिनाँक 15.05.2023 को हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र न देने के कारण उनके विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी किये जाने का आदेश हो गया। जानकारी होने पर न्यायालय आ कर वारण्ट जारी किये जाने के आदेश को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दे रहा है। उनके द्वारा जाबूझ कर कोई गलती नहीं की गयी है। आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा रू० 20,000/ का व्यक्तिगत बंधपत्र व इस आशय की अण्डर टेकिंग दाखिल करने पर इस शर्त पर गैरजमानतीय अधिपत्र निरस्त किया जाता है कि भविष्य में नियत तिथियों पर अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। पत्रावली नियत तिथि 28.08.2024 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–3, आजमगढ़

Digitally signed by JAINENDRA KUMAR PANDEY
Date: 2024.08.14 17:06:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court